आपने प्रारंभ किया है उस केरीकुलम का पालन कहां तक हो रहा है? इसके साथ-साथ मुझे इस बात की जानकारी देने की भी कृपा करें कि आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के मामले में भारत सरकार के द्वारा काफी बातें कही जाती हैं लेकिन हकीकत में अगर आप देखें तो आयुर्वेद की एक प्रकार से उपेक्षा हो रही है तो इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि किस प्रकार आयुर्वेद को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं?

SHRI A. RAJA: Sir, as far as the question of course that is being conducted abroad for one-and-a-half-year, it is not acceptable to us because it is not according to our syllabus, curriculum and tenure of the course. We are very clear that for an Ayurvedic degree in India at least 1600 hours should be there. But the Government of UK has sent us a proposal for 1100 hours with a curriculum. It has been sent to our Ministry through the Indian High Commission. We have categorically stated that such a course cannot be accepted because it is not admissible according to our Council's rules. If they are ready to start our course, we can send them our curriculum which has been accepted by our Council.

SHRI MOTILAL VORA: Sir, in the written reply it has been stated that the Bachelor of Ayurvedic Medicines and Surgery is not being awarded to foreign nationals undergoing one-and-a-half years course. Then what degree are you going to award to those foreign nationals who are going in for one and a half years course in India?

SHRI A. RAJA: Unless they have the five and a half years degree, there is no question of... *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Next question.

### प्रसार-भारती में तकनीशियनों की नियुक्ति

*272. **डा॰ कुमकुम राय:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रसार-भारती तकनीशियनों की नियुक्ति में आई॰ टी॰ आई॰ के प्रमाण पत्र धारकों को ही मान्यता देती है, आई॰ टी॰ सी॰ प्रमाण-पत्र धारकों को नहीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आई॰टी॰आई॰ से भी तकनीशियनों की नियुक्ति करेगी?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 15 फरवरी, 1995 को अधिसूचित तकनीशियनों के पद के भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष थी और

1. आई॰ टी॰ आई॰ से रेडियो/टी॰वी॰/इलैक्ट्रोनिक्स/इलैक्ट्रीकल में दो वर्ष के ट्रेड प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र सहित प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव या
2. आई॰ टी॰ आई॰ से एयरकन्डीशिनिंग और रेफ्रिजरेशन में एक वर्ष के ट्रेड प्रमाण पत्र सहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का अनुभव।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि तकनीशियन पद के लिए सीधी भर्ती सम्बन्धित केन्द्र प्रमुख द्वारा की जाती है जो प्रसार भारती में सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी हैं। यह संभव है कि शायद कुछ केन्द्र प्रमुख मान्यता प्राप्त आई॰ टी॰ सी॰ के उम्मीदवारों को इस पद के लिए पात्र समझते हों। इस सम्बन्ध में लगभग 500 केन्दों से सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अनुसार प्रसार भारती द्वारा 5 जून, 2002 को अन्य पदों के साथ-साथ तकनीशियन के पद को विनियंत्रित करने वाले नए भर्ती विनियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार, तकनीशियन के पद की सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं मैट्रिकुलेशन और मान्यता प्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक/टेलीकम्युनिकेशन्स में कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष हैं।

तथापि, आकाशवाणी और दूरदर्शन अभियांत्रिकी कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, नियम और विनियम बनाने की प्रक्रिया में उनको शामिल करने की मांग करते हुए हड़ताल करने का आह्वान करने पर प्रसार भारती प्रबन्धन ने 18 सितम्बर, 2002 को उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार इन नियमों और विनियमों की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

**Appointment of technicians in Prasar Bharati**

†*272. SHRIMATI KUM KUM RAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Prasar Bharati recognises only ITI certificate holders and not ITC certificate holdres in the appointment of technicians;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, whether Government would appoint technicians from ITC also?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

***Statement***

(a) to (c) As per the recruitment rules for the post of Technicians, notified on 15th February, 1995, educational and other qualifications required for direct recruitment were Matriculation or equivalent and

(i) A two year trade certificate from an ITI in Radio/TV Electronics/ Electrical or equivalent with one year practical experience after obtaining the certificate, or

(ii) A one year trade certificate from an ITI in Air-conditioning and refrigeration with two years experience after obtaining the certificate.

Prasar Bharati has informed that direct recruitment to the post of Technician is done by the Head of the Station concerned, who is the competent appointing authority in Prasar Bharati. It is possible that some Station Heads may have considered cadidates from recognised ITCs as eligible for the post. Information in this regard is being collected from about 500 stations.

Fresh recruitment regulations governing, *inter-alia,* the post of Technician have been notified by Prasar Bharati, on 5th June, 2002, in accordance with Prasar Bharati Act, 1990. As per these regulations, the educational and other qualifications required for direct recruitment to the post of Technician, are Matriculation and at least 2 year diploma in Electronics/Telecommunications or equivalent from a recognized institute.

However, on a call for strike given by the Joint Forum of Akashvani and Doordarshan Engineering Employees demanding, *inter alia,* their association in the process of framing of the rules and regulations, the Prasar Bharati Management has, on 18th September, 2002, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with them, according to which, there would be comprehensive review of these rules and regulations.

**डा॰ कुमकुम राय:** माननीय सभापति, महोदय, भारत सरकार प्रसार भारती, दूरदर्शन के टेक्नीशियंस के पदों की भर्ती के लिए आईटीआई से ही उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनको ही मान्यता देती है और आईटीसी से मान्यता प्राप्त जो संस्थान हैं उनसे उत्तीर्ण छात्रों को मान्यता नहीं देती है, उनकी बहाली नहीं करती है। इन्होंने अपने उत्तर में हड़ताली लोगों से एक समझौता वार्ता के लिए तिथि निर्धारित की है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उस वार्ता में इस चीज का स्पष्ट प्रावधान आप करने जा रहे हैं कि आईटीसी और अन्य समकक्ष संस्थानों से जो छात्र

निकलेंगे उनको भी प्रसार भारती और दूरदर्शन में टेक्नीशियंस के पदों की बहाली में निश्चित रूप से आप उन्हें मान्यता देंगे?

**श्री रमेश बैंस:** सभापति महोदय, अभी जो सेवा भारती नियम लागू है - 1995 से जो लागू था, वही हमने अपनाया है। उसके बाद 5 जून, 2002 को इसमें अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें हमने मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाण पत्रों को भी मान्यता दी है, लेकिन चूंकि यह भर्ती प्रक्रिया पहले से प्रारंभ हो गई थी इसलिए 1995 से प्रचालित नियमों के तहत प्रकिया को हमने लागू किया है, भविष्य में जब भी हम तकनिशियनों की भर्ती करेंगे तब मान्यता प्राप्त आईटीसी वाले को भी उसमें पात्र माना जाएगा।

*273. [The questioner (Shrimati Savita Sharda) was absent for answer *vide* page 55 *Infra*.]

**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति**

*274. **श्री राम जेठमलानी:**
**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':††**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 2001 के दौरान तथा जून 2002 तक विद्युत, रसायन उर्वरक और पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाएं, जिनमें विदेशी निवेश की पेशकश थी, स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं में किए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सितम्बर, 2002 तक जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है, उनका ब्यौरा क्या है और क्षेत्र-वार इनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी):** (क) से (ग) विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

(क) विद्युत, रसायन, उर्वरक तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग (रूट) के अंतर्गत क्षेत्रवार अनुमोदित निदेश की राशि के साथ अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

††सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।